आदेश

पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के साथ कोई अंगरक्षक/चालक इत्यादि बाह्य जिलों/इकाई से प्रतिनियुक्त हैं, उसे अविलम्ब अपने पैतृक जिलों/इकाई में लौटाना सुनिश्चित करेंगें ।

2. ऐसे सभी प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मियों की सूची दिनांक-20.06.2019 तक पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएंगे ।

3. यदि किसी पुलिस कर्मी को विशेष कारणों से विशेष परिस्थिति में किसी वरीय पदाधिकारी के साथ प्रतिनियुक्त करना है तो इसका लिखित अनुरोध संबंधित वरीय पुलिस पदाधिकारी पुलिस मुख्यालय से करेंगे एवं पुलिस मुख्यालय के लिखित अनुमोदन के पश्चात् ही उसे प्रतिनियुक्ति पर रखेंगे ।

4. थानाध्यक्ष से पुलिस महानिरीक्षक स्तर तक के सभी पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके साथ व्यक्तिगत कर्मी (Personnel Staff) यथा- विशेष कार्य पदाधिकारी (OSD), अपराध प्रवाचक, गोपनीय प्रावचक, अंगरक्षक में जो भी पुलिसकर्मी कार्यरत् हैं, वे सभी स्वच्छ एवं बेदाग छवि के हों । यदि व्यक्तिगत कर्मी (Personnel Staff) के रूप में कार्यरत् किसी भी पुलिसकर्मी/पदाधिकारी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होती है अथवा किसी कदाचार के मामले में लिप्त पाए जाते हैं तो प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मी के साथ-साथ वैसे पुलिस पदाधिकारी भी दोषी होंगे जिनके साथ वे प्रतिनियुक्ति हैं ।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,

21.6.19.

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 286/429252/पी.1
4-9-23-17

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक :- 21 / 06 /2019

प्रतिलिपि :- 1. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण/सैन्य पुलिस/बिहार पुलिस अकादमी) बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ ।

2. सभी अपर पुलिस महानिदेशक/सभी पुलिस महानिरीक्षक/ सभी पुलिस उप-महानिरीक्षक/ सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/ सभी पुलिस अधीक्षक (रेल एवं इकाई सहित) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

3. सभी पुलिस उपाधीक्षक एवं सभी थानाध्यक्ष को संबंधित पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

4. पुलिस उपाधीक्षक, महानिदेशक नियंत्रण कक्ष, पटना को उपरोक्त सभी पदाधिकारियों को सूचित करने हेतु आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

5. आई.टी. मैनेजर, महानिदेशक कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

21.6.19.

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।